



## षोडश बिहार विधान सभा

### पंचम सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-27.02.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री अचमित ऋषिदेव,  
स०वि०स०

“राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापक-7/विविध-25/2015/062, दिनांक-08.09.2015 में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियोजित शिक्षकों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियोजित करने एवं एकमुश्त 4,00,000/- (चार लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिसका अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य भर में सैकड़ों मृत शिक्षकों के निकटतम आश्रितों को संकल्प का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उदाहरणस्वरूप अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के मध्य विद्यालय, बेलसरा में सेवा अवधि में दिनांक-25.11.2015 को मृत्यु होने के बावजूद स्व० वीणा माधुरी, प्रखण्ड शिक्षिका के निकटतम आश्रित को आजतक कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

शिक्षा

अतः उक्त संकल्प को राज्य भर में कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री रवि ज्योति कुमार, संवि०स० श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224), संवि०स० श्री राम विलाश पासवान, संवि०स० श्री अजय कुमार मंडल, संवि०स० श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, संवि०स० श्री चन्द्रसेन प्रसाद, संवि०स० श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कु सिंह, संवि०स०	“पूरे बिहार राज्य में दफादारों एवं चौकीदार का लगभग 5000 पद रिक्त है। 2200 के करीब सेवानिवृत्त दफादारों एवं चौकीदारों के आश्रित थानों में एवजी के रूप में कार्यरत है साथ ही चयनित एवं अनुशासित भी है। अतः रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”	गृह

राम श्रेष्ठ राय  
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/17-1300-1313 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 फरवरी, 2017 ई०।


प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा गृह विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अनिल कुमार जायसवाल)  
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/17-1300-1313 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 फरवरी, 2017 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अनिल कुमार जायसवाल)  
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

  
25/2/17